



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24042026-272043
CG-DL-E-24042026-272043

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2015]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 24, 2026/वैशाख 4, 1948

No. 2015]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 24, 2026/VAISAKHA 4, 1948

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2026

का.आ. 2088(अ).— केन्द्रीय सरकार, प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 (1978 का 37) की धारा 6 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्रीमती न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई का नामनिर्देशन, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष के रूप में अधिसूचित करती है।

[फा. सं. एम-22013/5/2026-एमयूसी-1]

के. के. निराला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING
NOTIFICATION

New Delhi, the 24th April, 2026

S.O. 2088(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5, read with sub-section (1) of section 6 of the Press Council Act, 1978 (37 of 1978), the Central Government hereby notifies the nomination of Smt. Justice Ranjana Prakash Desai, retired Judge of the Supreme Court of India, as the Chairperson of the Press Council of India for a period of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. M-22013/5/2026-MUC-I]

K. K. NIRALA, Jt. Secy.